

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/ 24011-21 दिनांक : 17.6.19

परियोजना अधिकारी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर।

विषय : पेयजल सम्बन्धित निर्माण कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न पेयजल सम्बन्धित निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-8 में वर्णित राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(राशि लाख रु. में)

क. स.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	पंस.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि.	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बच्छार के फला हीराखेडा में पनघट निर्माण	बच्छार	गिर्वा	8104-10/ 14.02.2019	1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 12/24.05.2019	2.53
2	बच्छार के फला खोखामा में पनघट निर्माण	बच्छार	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 13/24.05.2019	2.53
3	बच्छार के अमलोई फला में पनघट निर्माण	बच्छार	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 14/24.05.2019	2.53
4	ग्राम पं. बच्छार के झूंगरीफला (कालका माता) में पनघट निर्माण	बच्छार	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 15/24.05.2019	2.53
5	बच्छार गोडावड धर्मचन्द घर के पास पनघट निर्माण।	डोडावली	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 16/24.05.2019	2.53
6	बच्छार गोडावड दीवा/कमजी के घर के पास पनघट निर्माण	डोडावली	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 17/24.05.2019	2.53
7	पनघट निर्माण श्री लालु/लिम्बा के घर के पास खेमजखेडा।	बुझडा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 18/24.05.2019	2.53
8	पनघट निर्माण बोडा मतारा नका जी के घर के पास खेमजखेडा।	बुझडा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 19/24.05.2019	2.53
9	पनघट निर्माण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास खेमजखेडा	बुझडा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 20/24.05.2019	2.53
10	पनघट निर्माण श्री धन्ना जी के घर के पास	बुझडा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 21/24.05.2019	2.53
11	पनघट निर्माण श्री दला जी के घर के पास	बुझडा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 22/24.05.2019	2.53
12	पनघट निर्माण रा.प्रा.वि. खिला का खादरा में	सीसारमा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 23/24.05.2019	2.53
13	पनघट निर्माण कोडियात-बी नई आबादी मोहन/भीमा के घर के पास	सीसारमा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 24/24.05.2019	2.53
14	पनघट निर्माण कोडियात-ए निचला फला में	सीसारमा	गिर्वा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 25/24.05.2019	2.53

15	पनघट निर्माण कांकन का गडा, कांकन का गडा	मोडी	गोगुन्दा	11031-56 28.02.2019	1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 26/24.05.2019	2.53
16	पनघट निर्माण नाडीफला शिवडिया ग्राम बेकरिया	बेकरिया	कोटडा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 27/24.05.2019	2.53
17	पनघट निर्माण— वहता/भाणा के घर के आस-पास ग्राम पीलक।	बेकरिया	कोटडा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 28/24.05.2019	2.53
18	पनघट निर्माण—मोदी वाला फला बेकरिया	बेकरिया	कोटडा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 29/24.05.2019	2.53
19	पनघट निर्माण—मेडा का मयारा, मोडी	मोडी	गोगुन्दा		1.50	EE/PHED/ Distt.(R) 30/24.05.2019	2.53
20	पनघट निर्माण—राउप्रावि मदार	मदार	बड़गांव		2.35	EE/PHED/ Distt.(R) 31/24.05.2019	2.53
			योग		30.85		50.60

क्र.स.-5 एवं 6 पर वर्णित कार्य की तकनीकी स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त होने से कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत के स्थान पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-18/2018-19 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि 660.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

#### शर्तः—

- स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावें।
- समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
- निर्माण पश्चात् योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जावें। योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे।
- द्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com में प्रेषित करें।
- पेयजल योजना निर्माण पश्चात् 7 वर्ष तक संधारण एवं संचालन कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।


भवदीय

(भवानी सिंह देवा) I.A.S  
आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/24011-21 दिनांक : 17.6.19  
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-18/2018-19 मे पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि 660.00 लाख में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को राशि रु. 50.60 लाख, हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

  
 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
 उदयपुर (राज.)